

जिला सूचना कार्यालय हरिद्वार।
निकट देवपुरा चौक, पुरानी कचहरी, हरिद्वार।

E-mail: suchnaharidwar@gmail.com दूरभाष : 01334-226695, मोबाइल: 7055007017

दिनांक : 17.10.2017

प्रेस विज्ञप्ति

हरिद्वार। पीरान कलियर शरीफ में 19 नवम्बर से 05 दिसम्बर तक आयोजित होने वाले दरगाह साबिर पाक के 749वें उर्स (मेला 2017) की तैयारियों के सम्बन्ध में रोशनाबाद स्थित कलक्ट्रेट सभागार में समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी दीपक रावत ने अधिकारियों एवं वक्फ दरगाह पीरान कलियर शरीफ के सदस्यों को आवश्यक दिशा निर्देश दिये। जिलाधिकारी ने निर्देश दिये कि मेले में सभी व्यवस्थाएं समय रहते दुरुस्त कर ली जायें ताकि मेले में प्रतिभाग करने वाले श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधाओं का सामना न करना पड़े। उन्होंने निर्देश दिये कि मेले परिसर में अस्थाई दुकानों, टैन्टों, विद्युत सप्लाई, टीन शैड, साउण्ड सर्विस आदि कार्यो जिनकी व्यवस्था ठेके के माध्यम से होनी है उनके टैण्डर एक सप्ताह के भीतर कर लिये जायें। उन्होंने ईई ट्यूबेल को मेला परिसर में खराब पडी ट्यूबेल को 10 दिन के भीतर चालू करने के निर्देश दिये। मेले में अप्रिय घटना न हो इस हेतु पिरान कलियर क्षेत्र में क्षतिग्रस्त पुल को बड़े एवं भारी वाहनों के लिए बन्द रखे जाने के निर्देश भी दिये। जिलाधिकारी ने निर्देश दिये कि अराजक तत्वों पर नजर रखने के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाने हेतु स्थान चिह्नित कर लिये जायें तथा कैमरे परमारनेन्ट लगायें जायें, ठेके पर न लिये जायें। पार्किंग स्थलों पर भी प्रकाश व्यवस्था की जाय व इस हेतु स्थान भी चिह्नित कर लिये जायें। हाईकोर्ट के आदेशानुसार पार्किंग हेतु की जाने वाली वसूली का कार्य नगर पंचायत द्वारा किया जाय। यदि सिंचाई विभाग अपनी भूमि बताकर पार्किंग वसूली का कार्य करता पाया जाय तो उसके विरुद्ध एफआईआर दर्ज करवायी जाय। उन्होंने कहा कि मेला अवधि के दौरान मेला परिसर में सफाई व्यवस्था दुरुस्त बनी रहे इस हेतु मेले में प्रतिभाग करने वाले श्रद्धालुओं की संख्या को ध्यान में रखने हुए पर्याप्त संख्या में अस्थायी शौचालयों की स्थापना की जाय। जिलाधिकारी ने कहा कि ऐसी दुकानें जो मेले में अवरोध उत्पन्न करेगी को 15 नवम्बर से पूर्व ही हटा दिया जाय। उन्होंने मेले में शांति एवं सुरक्षा व्यवस्था बनाये रखने हेतु पुलिस विभाग के अधिकारियों को मेला परिसर में मेला अवधि के दौरान पर्याप्त पुलिस बल की तैनाती के निर्देश दिये।

बैठक में क्षेत्रीय विधायक फुरकान अहमद, मुख्य विकास अधिकारी, स्वाती एस भदौरिया, अपर जिलाधिकारी प्रशा0भगवत किशोर, ज्वाइंट मजिस्ट्रेट नितिका खण्डेलवाल, जिला पूर्ति अधिकारी राहुल शर्मा, एआरटीओ शैलेश तिवारी सहित सम्बन्धित विभागों के अधिकारी एवं वक्फ के सदस्य उपस्थित थे।

जिला सूचना अधिकारी
हरिद्वार।